

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1281/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 27/08/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 03 रिक्त/उपलब्ध क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 03/09/2024 से 10/09/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र.सं.	तहसील	ग्राम व नदी व डीएसधार एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मी)	सीमाएँ	जिम्मे-कोऑर्डिनेस	दर (प्रति घ०मी० मी)	खनन वीथि किराया/आवृत्त उपलब्ध की मात्रा (घ०मी० मी)	अवकाश मूल्य (आवृत्त वीथि/आवृत्त मात्रा)	जोड़त मूल्य (अवकाश मूल्य का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फतेहपुर	रामनगर कीहन (यमुना नदी) 1570760202	खण्ड सं०-आवृत्त-1 गाटा सं०-144 का भाग आदि, 40, 38, 32, 68, 5	34.81 हे०	उत्तर रामनगर कीहन की एडरामाली मुनि दक्षिण यमुना नदी पूरव गाटा संख्या-73 व अन्य गाटा संख्याएँ पश्चिम खण्ड सं० आवृत्त-1 वी	A N-25°-40.882 E-80°-52.780 A1 N-25°-40.877 E-80°-52.733 A2 N-25°-40.840 E-80°-52.735 A3 N-25°-40.860 E-80°-52.439 A4 N-25°-40.906 E-80°-52.128 B N-25°-41.012 E-80°-51.798 C N-25°-40.881 E-80°-51.738 C1 N-25°-40.740 E-80°-52.055 D N-25°-40.800 E-80°-52.082 E N-25°-40.803 E-80°-52.230 E1 N-25°-40.765 E-80°-52.230 F N-25°-40.781 E-80°-52.508 F1 N-25°-40.795 E-80°-52.678 G N-25°-40.812 E-80°-52.786	150	107982	16197300	8098650
2	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162960201	खण्ड सं०-उरौली की गाटा संख्या-64 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 567/471, 471 से 475 तक, 499, 500, 506 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक 577 से 579 तक, 585, 586-	50.00	उत्तर ग्राम उरौली का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी का शेष भाग पूरव ग्राम सीना दरौली पश्चिम सीमा ग्राम अदाफल	A N-25°-48.513 E-80°-28.624 B N-25°-48.440 E-80°-28.780 C N-25°-48.273 E-80°-28.969 D N-25°-48.129 E-80°-29.166 E N-25°-47.924 E-80°-29.447 F N-25°-47.705 E-80°-29.835 G N-25°-47.622 E-80°-29.775 H N-25°-47.842 E-80°-29.386 I N-25°-48.653 E-80°-29.087 J N-25°-48.207 E-80°-28.680 K N-25°-48.363 E-80°-28.693 L N-25°-48.499 E-80°-28.529	150	187500	28125000	14062500
3	छाना	मुजफ्फर (यमुना नदी) 2160090401	खण्ड सं०-मुजफ्फर कम्युनिटी की गाटा संख्या-53 से 71 तक, 76 से 80 तक, 81, 132 से 134 तक	63.00	उत्तर यमुना नदी का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी	A 25°37'11.7"N 80°57'33.7"E A1 25°36'8.32"N 80°57'55.7"E A2 25°36'7.71"N 80°57'70.3"E A3 25°36'7.18"N 80°58'120"E A4 25°36'76.7"N 80°58'33.3"E B 25°36'86.0"N 80°58'62.9"E C 25°36'79.0"N 80°58'65.7"E	150	187500	28125000	14062500

				का शेष भाग	C1	25°36' 745"N	80°58' 439"E			
			पूर्व	यमुना नदी	C2	25°36' 667"N	80°58' 021"E			
				का शेष भाग	C3	25°36' 675"N	80°57' 727"E			
			पश्चिम	यमुना नदी	C4	25°36' 758"N	80°57' 469"E			
				का शेष भाग	D	25°36' 930"N	80°57' 080"E			

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा व पुनः पूर्ति मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र के ई-निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री-बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिलाधिकारी-फतेहपुर के पक्ष में अग्रिम रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग-अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू/मोरम की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई-निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
 - (ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
 - (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप-2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा:-

प्रारूप-2 की सूचनायें:-

 - क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
 - ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
 - ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो0नम्बर।
 - घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
 - ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 2,000/- का चालान संख्या व दिनांक।
 - च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
 - छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
 - ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहाँ से जारी किया गया हो।
 - झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :-

 - क. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 2,000/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग. पैन कार्ड।

घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अवेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञापित के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक 12/09/2024 अपराह्न 04:00 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा विन्दु संख्या-6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप-2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोल जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञापित संख्या व दिनांक, विज्ञापित में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 11/09/2024 समय सायं 5:00 बजे तक खनिज कार्यालय, फतेहपुर में उपलब्ध करनी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा खोले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खनिज कार्यालय, फतेहपुर में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
12. प्राप्त ई-निविदा के अनुसार 08 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) निर्गत होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 व टी0सी0एस0 देय होगा।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा-पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।
14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।
15. अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज का अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन सक्रियताएँ सम्पादित करेगा।

17. अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियोकोर्डिनेट भी इंगित किया जायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
18. चयनित अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
19. अनुज्ञाधारक उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार पी०टी०जेड सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर०एफ०आई०डी० स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम०एम०-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी०सी०टी०वी० कैमरे और आर०एफ०आई०डी० स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांग जान पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
20. अनुज्ञाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम०एम०-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम०एम०-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर०एफ०आई०डी० स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अन्तर्गत शारित का भागीदार होगा।
21. अनुज्ञाधारक अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाएँ नहीं करेगा।
22. जिलाधिकारी द्वारा विन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
23. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
24. ई-निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व खनन संक्रिया की साध्यता के विषय में मौके का स्वयं निरीक्षण कर ई-निविदादाता अवश्य ही आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में प्रतिभाग करने का स्पष्ट आशय है कि ई-निविदा हेतु विज्ञापन में दर्शित खनिज की मात्रा, खनन क्रिया की साध्यता, खनन स्थल तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि के विषय में बिडर को कोई आपत्ति नहीं है।
25. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
26. यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों, खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
27. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।
28. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारक को मान्य होगा।
29. सार्वजनिक सड़क, जलाशय, नहर, रेलवे/रेलवे लाईन, निवसित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
30. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी, फतेहपुर एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा, जो पट्टाधारक को मान्य होगी।
31. मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेश, उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के सभी नियम तथा समय-समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।


32. ई-निविदादाता द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से Fraud एवं Cartelization तथा Fair bidding process को प्रभावित करने की दशा में उसके द्वारा जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।


जिलाधिकारी
फतेहपुर।

पत्रांक / खनिज / 2024-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति का प्रकाशन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में कराने का कष्ट करें।
5. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) फतेहपुर/प्रभारी अधिकारी खनिज।
6. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज।
7. प्रबन्ध निदेशक यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद फतेहपुर को को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9. सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, फतेहपुर को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला सूचना अधिकारी, फतेहपुर को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, बिन्दकी फतेहपुर।
12. अध्यक्ष जिला पंचायत, खागा/किशानुपर/बहुआ/कोड़ा जहानाबाद/हथगॉम/असोथर/कारीकान घाता/खखरेरू।
13. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, फतेहपुर को सूचना पट पर घस्था करने हेतु।


जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

कार्यालय जिलधिकारी फतेहपुर

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 1281/खनिज/अल्प अवधि टेण्डर/2024-2025

दिनांक 27/08/2024

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद फतेहपुर के नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के 03 रिक्त क्षेत्रों को शासनादेश संख्या-781/86-2020-14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा ई-निविदा डालने की तिथि 03/09/2024 से 10/09/2024 समय सायं 05:00 बजे तक निम्न क्षेत्रों के लिए पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण:-

क्र.सं.	व्यक्ति	ग्राम व नदी व सीमांकन एरिया कोड	खण्ड संख्या/गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० म०)	तलबंद	खनिज-कोऑर्डिनेट्स	दर (प्रति घ०मी० में)	खनन क्षेत्र विस्तार/अवधिकत खनन क्षेत्र की मात्रा (घ०मी० में)	अवधिकत खनन क्षेत्र/अवधिकत मात्रा	अवधिकत नदी/अवधिकत क्षेत्र का आ.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फतेहपुर	रामनगर जोरस (यमुना नदी) 1570760202	खण्ड सं०-आर०के०-1 गाटा सं०-144 का भाग अर्थात् 40, 36, 32, 68, 5	34.81 हे०	उत्तर रामनगर कोहन की एहतमाली भूमि दक्षिण यमुना नदी पूरब गाटा संख्या-73 व अन्य गाटा संख्याएँ पश्चिम खण्ड सं० आर०के०-1 वी	A N-25°-40' 88.2 E-80°-52' 78.0 A1 N-25°-40' 87.7 E-80°-52' 73.3 A2 N-25°-40' 84.0 E-80°-52' 73.5 A3 N-25°-40' 86.0 E-80°-52' 43.9 A4 N-25°-40' 90.0 E-80°-52' 12.8 B N-25°-41' 01.2 E-80°-51' 79.8 C N-25°-40' 88.1 E-80°-51' 73.8 C1 N-25°-40' 74.0 E-80°-52' 05.5 D N-25°-40' 80.0 E-80°-52' 08.2 E N-25°-40' 80.3 E-80°-52' 23.0 E1 N-25°-40' 76.5 E-80°-52' 23.0 F N-25°-40' 78.1 E-80°-52' 50.8 F1 N-25°-40' 79.5 E-80°-52' 67.8 G N-25°-40' 81.2 E-80°-52' 78.6	150	107982	16197300	0096650
2	फतेहपुर	उरौली (यमुना नदी) 2162560201	खण्ड सं०-उरौली की गाटा संख्या-64 से 69 तक 83 से 91 तक, 108 से 112 तक, 115 से 121 तक, 141 से 149 तक, 161, 162, 167, 168, 183 से 186 तक, 202 से 210 तक, 234 से 245 तक, 301 से 313 तक, 383 से 390 तक, 395 से 402 तक, 409 से 412 तक, 417 से 423 तक, 463, 464, 567/471, 471 से 475 तक, 488, 500, 505 से 510 तक, 537 से 544 तक, 561 से 565 तक, 577 से 579 तक, 585, 586-	90.00	उत्तर ग्राम उरौली का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी का शेष भाग पूरब ग्राम सीमा उरौली पश्चिम सीमा ग्राम अढ़ावल	A N-25°-48' 57.3 E-80°-28' 62.4 B N-25°-48' 44.0 E-80°-28' 78.0 C N-25°-48' 27.3 E-80°-28' 96.9 D N-25°-48' 12.9 E-80°-29' 166 E N-25°-47' 92.4 E-80°-29' 44.7 F N-25°-47' 70.5 E-80°-29' 83.5 G N-25°-47' 62.2 E-80°-29' 77.5 H N-25°-47' 84.2 E-80°-29' 386 I N-25°-48' 03.5 E-80°-29' 08.7 J N-25°-48' 20.7 E-80°-28' 89.0 K N-25°-48' 36.3 E-80°-28' 69.3 L N-25°-48' 49.9 E-80°-28' 52.9	150	187500	26125000	14062500
3	खामा	गुरुवल (यमुना नदी) 2160800401	खण्ड सं०-गुरुवल कम्पाजिट की गाटा संख्या-59 से 75 तक, 74 से 86 तक, 91, 132 से 134 तक	50.00	उत्तर यमुना नदी का शेष भाग दक्षिण यमुना नदी का शेष भाग	A 25°37' 11.7"N 80°57' 33.3"E A1 25°36' 8.32"N 80°57' 55.7"E A2 25°36' 77.3"N 80°57' 70.3"E A3 25°36' 73.8"N 80°58' 120"E A4 25°36' 76.7"N 80°58' 33.3"E B 25°36' 86.0"N 80°58' 62.9"E C 25°36' 79.0"N 80°58' 65.7"E C1 25°36' 74.5"N 80°58' 43.9"E	150	187500	26125000	14062500

					पूर्व	यमुना नदी का शेष भाग	C2	25°36.667'N	80°58.021'E			
							C3	25°36.675'N	80°57.727'E			
					पश्चिम	यमुना नदी का शेष भाग	C4	25°36.758'N	80°57.469'E			
							D	25°36.930'N	80°57.080'E			

ई-निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं शर्तों की जानकारी आनलाइन "etenders.up.nic.in" पोर्टल पर व किसी भी कार्यदिवस में समय 10.00बजे से 5.00बजे तक खनिज कार्यालय फतेहपुर से प्राप्त की जा सकती है।


जिलाधिकारी
फतेहपुर।

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	वेज़ाप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	वेज़ाप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई-मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम- ख. जनपद का नाम- ग. तहसील का नाम- घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम- ङ. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या- च. क्षेत्रफल(एकड़ में)-	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ----- बैंक का नाम व शाखा ----- ड्राफ्ट का नम्बर -----

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर